


राष्ट्रीय उद्यान (भाग-4)

राष्ट्रीय उद्यान-IV

106 राष्ट्रीय उद्यान (2022)



परिचय

- पारिस्थितिकी, प्राणिजगत, वनस्पति, भू-आकृति अथवा जंतु जगत संबंधी महत्त्व को संरक्षित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान/नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है।
- इन क्षेत्रों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WPA), 1972 के तहत सुरक्षा प्राप्त होती है।
- राष्ट्रीय उद्यान के भीतर राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा WPA में उल्लिखित शर्तों के तहत प्रदान की गई अनुमति के अलावा, किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं है।

तथ्य

- एरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान (केरल): लुप्तप्राय पहाड़ी बकरी, नीलगिरि तहर के प्राकृतिक आवास के लिये प्रसिद्ध। बारह वर्षों में एक बार खिलने वाला फूल 'नीलकुरिजी' भी यहीं पाया जाता है।
- मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य (केरल), बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान (कर्नाटक) और मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य (तमिलनाडु) नीलगिरी बायोस्फीयर रिज़र्व (वर्ष 1986 में स्थापित भारत का पहला बायोस्फीयर रिज़र्व) के भीतर संरक्षित क्षेत्र हैं।

